तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	मनोज कुमार बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर -99 / 2023	
19/7/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एव राज पैरोकार उपस्थित बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से तहसील लूनकरनसर के राजस्व ग्राम कालू तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 745 तादादी 3.81 हैक्टेयर खातेदारी भूमि कब्जे एव दखल मे चली आ रही है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि मे आने जाने का कोई स्वीकृत रास्ता नही है, प्रार्थी की उपरोक्त भूमि मे पूर्व दिशा मे खसरा नम्बर 743 के पास से स्वीकृत रास्ता है। उक्त स्वीकृत रास्ते से खसरा नम्बर 743 की दक्षिण दिशा की सीव के पास-पास पश्चिम दिशा मे स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 745 आवागमन पिछले कई वर्षो से आ रहा है। प्रार्थी खसरा नम्बर 743 की दक्षिण दिशा की सीव के पास पास खसरा नम्बर 743 मे लम्बाई मे 70 मीटर व चौडाई मे 5 मीटर गैर मुमकीन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से उत्तर-पूर्व दिशा मे खसरा नम्बर 743 राजस्व रिकार्ड मे आराजी राज दर्ज है। खसरा नम्बर 743 की पूर्व दिशा की सीव - सीव चौडाई मे 5 मीटर व लम्बाई प्रार्थी के खेत की सीव तक 70 मीटर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जितनी बनती है मे गैर मुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि मे आ-जा सके। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की खातेदारी जोत मे आने जाने का अन्य कोई सुविधाजनक एव नजदीक का रास्ता नही है। प्रार्थी के खेत से चिपता हुआ पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम दिशा मे कोई स्वीकृत रास्ता नही है। जबकि प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि मे आने जाने काश्त करने के लिए रास्ता लेने का संवैधानिक अधिकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी स. 01 को खसरा नम्बर 743 की उत्तर-पूर्व दिशा की सीव मे पूर्व से पश्चिम रास्ता देने के लिए कहा जिसे अप्रार्थी ने इन्कार कर दिया। जिस कारण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अप्रार्थी की जितनी भूमि कम होगी, कम भूमि का प्रतिकर प्रार्थी नियमानुसार देने के लिए सहमत है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के कृषि भूमि तक पहुच हेतु रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया। पैरोकार राज द्वारा कहा गया की नियमानुसार रास्ता अकन मे सहमती प्रदान की गई। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी सवत् 2077-2080 ग्राम कालू, नजरी नक्शा एव तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। अत प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 743 के दक्षिण दिशा के सीव मे से पूर्व से पश्चिम नियमानुसार खसरा नम्बर 745 तक पहुच हेतु रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड मे अकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय मे शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । यह आदेश आज दिनाक 19.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	